

समाहरणालय, मुंगेर

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी द्वारा अनुशंसित निम्न योजना की प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ज्ञापांक-487 दिनांक-12.08.2015, पत्रांक-539 दिनांक-27.08.2015 एवं पत्रांक-566 दिनांक-04.09.2015 द्वारा दिया गया तथा कार्यान्वयन एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर ने पत्रांक-103, 104, 105, 106 एवं 107, दिनांक-28.01.2017 द्वारा अवशेष राशि की मांग की है।

सम्यक विचारोपरांत निम्न प्रकार राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशा० स्वी० की राशि	एकरारनामा एवं आकस्मिकता की राशि	पूर्व में विमुक्त राशि	वर्तमान में विमुक्त की जा रही राशि	कुल विमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
01	ग्राम पुवारी टोला फरदा में तिरासी टोला में प्याउ का निर्माण	189900.00	183323.00	113900.00	69423.00	183323.00
02	ईटवा पंचायत भलार में निखिल सिंह के घर से गुडलक सिंह के घर तक पी०सी०सी०	496200.00	493693.00	297700.00	195993.00	493693.00
03	वार्ड सं०-21 चन्द्र साव बक्शा दुकान से अशोक मालाकार के घर होते हुए इमामबारा चार होते हुए सोनिया देवी के घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य	142200.00	141437.00	85300.00	56137.00	141437.00
04	वार्ड सं०-14 एवं 16 के बीच हरिसभा साईकिल स्टैण्ड के पास प्याउ	189700.00	189537.00	113800.00	75737.00	189537.00
05	अदलपुर चौक (चौबटिया) के नीचे से दाहिने ओर रेलवे लाईन तक पी०सी०सी० निर्माण	119300.00	118950.00	71500.00	47450.00	118950.00
योग-		1137300.00	1126940.00	682200.00	444740.00	1126940.00

वर्तमान में विमुक्त की जा रही राशि मो०-444740.00 (चार लाख चौब्यालीस हजार सात सौ चालीस) रु० मात्र।

शेष शर्तें इस कार्यालय से पूर्व निर्गत आदेश ज्ञापांक-487 दिनांक-12.08.2015, पत्रांक-539 दिनांक-27.08.15 एवं पत्रांक-566 दिनांक-04.09.2015 के अनुसार यथावत लागू रहेगी।

- ६० -
जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 87 / जि०यो०, दिनांक 16/2/17

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक जिला योजना कार्यालय, मुंगेर से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- नाजिर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि विमुक्त की गई राशि का चेक नियमानुसार कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- माननीया सांसद श्रीमती वीणा देवी, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।